A2

फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री बद्रीलाल काबरा निवासी क–4, कुम्भानगर हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ व अन्य

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 12 /2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/01/2019	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री ब्रदीलाल काबरा निवासी क–4, कुम्भानगर हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से, अपीलार्थी ने प्रथम अपील अधिकारी एवं अध्यक्ष, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की। उसके बाद भी अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अध्यक्ष, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अध्यक्ष, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नही आते है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अध्यक्ष, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता भी राजस्व विभाग के ही प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं जिससे आप द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official